संख्या-109/2021/2740/26-3-2021

प्रेषक,

के0रविन्द्र नायक

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर 2021

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1194/स0क0/शिक्षा-अ/6/2021-22, दिनांक-23.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-20500.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0-5268.216 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रू0-6000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-01-0120-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0-20500.00 लाख में से राज्यांश के रूप में **रू0-6000.00 लाख (रू0-साठ करोड़ मात्र)** की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(3)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(7)-स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0120-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-109/2021/2740(1)/26-3-2021-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in